भारत गणराज्य की सरकार और लेबनान गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक करार

भारत गणराज्य की सरकार और लेबनान गणराज्य की सरकार, जिनको इसके पश्चात् संविदाकारी पक्षकार के रूप में जाना जाएगा,

घनिष्ठतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित व विकसित करने की समान इच्छा से प्रेरित होकर, और

शैक्षिक कार्यकलाप सहित कला, संस्कृति व शिक्षा के क्षेत्र में तथा विज्ञान, रेडियो, टेलिविजन व सिनेमा के क्षेत्र में भारत व लेबनान के बीच संबंधों व सूझबूझ को हर संभव तरीके से संवर्धित व विकसित करने की इच्छा से, निम्नलिखित करार करने के लिए सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

संविदाकारी पक्षकार शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक सहयोग के विकास व संवर्धन को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 2

संविदाकारी पक्षकार शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति व कला के क्षेत्र में सामग्रियों तथा श्रव्य-दृश्य सामग्रियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

संविदाकारी पक्षकार अपने-अपने देशों में संपादित पुस्तकों के अनुवाद व प्रकाशन को भी प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 3

संविदाकारी पक्षकार शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा कलाओं के क्षेत्र में अपने-अपने सक्षम संगठनों व संस्थाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों की स्थापना, संवर्धन व विकास को सुकर बनाएंगे।

अनुच्छेद 4

संविदाकारी पक्षकार अपनी-अपनी भाषाओं के संवर्धन व विकास तथा एक-दूसरे देश के इतिहास, साहित्य व कलाओं के प्रोन्नयन को प्रोत्साहित करेंगे।

इस संदर्भ में, दोनों पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे:

(क) अपनी-अपनी शैक्षिक संस्थाओं में रेडियो व टी0 वी0 कार्यक्रमों, भाषा पाठ्यक्रमों, साहित्य, इतिहास व कलाओं का प्रोन्नयन

(ख) विश्वविद्यालय, समझौतों द्वारा विनियमित शिक्षण-प्रतिष्ठानों के बीच सहयोग को संस्थागत करना,

(ग) सम्मेलनों, सेमिनारों व अन्य संबंधित कार्यकलापों के लिए प्रोफेसरों के पारस्परिक दौरे

अनुच्छेद 5

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में, संस्कृति व कलाओं में अध्ययन व शोध तथा विशेषज्ञता हासिल करने के उद्देश्य से दूसरे देश के छात्रों, वैज्ञानिकों व प्रोफेसरों को छात्रवृत्तियां मंजूर करने को प्रोत्साहित करेगा।

अनुच्छेद 6

संविदाकारी पक्षकार डिप्लोमाओं, प्रमाणा-पत्रों और शिक्षा से संबंधित अन्य डिग्रियों को पारस्परिक मान्यता प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाएंगे। इस संदर्भ में, दोनों पक्षकार एक समझौते के तहत उन शर्तों का पता लगाएंगे, जिनके अंतर्गत प्रत्येक देश में प्राप्त किए गए डिप्लोमाओं, उपाधियों व ग्रेडों की आंशिक या पूर्ण समकक्षता को दूसरे देश में उस देश के नियमों व विनियमों के अनुसरण में मान्यता प्राप्त हो सके।

अनुच्छेद 7

संविदाकारी पक्षकार सांस्कृतिक आदान-प्रदानों के विकास, साहित्य, संग्रहालय, अभिलेखागार के क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा थिएटर, संगीत, सिनेमा व नृत्य के क्षेत्र के कलाकारों के दौरों को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 8

संविदाकारी पक्षकार अपने-अपने देशों मे लागू नियमों व विनियमों के अनुरूप अपनी सांस्कृतिक संपदाओं, ऐतिहासिक स्मारकों, कलाकृतियों तथा पांडुलिपियों के संरक्षण व पुनरोद्धार के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 9

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार की संस्कृति के प्रसार को तथा उपयुक्त कार्यक्रमों व सूचना के आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित करेगा।

अनुच्छेद 10

इस करार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, संविदाकारी पक्षकारों द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी, जिसमें दोनों सरकारों के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होंगे और इसकी बैठक दोनों पक्षकारों के बीच तय की गयी तारीखों पर भारत और लेबनान में बारी-बारी से होगी। संयुक्त समिति इस करार के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा करने, इस करार में परिकल्पित क्षेत्र में दोनों पक्षकारों के हित में किसी मद को निरूपित व अनुशंसित करने में संविदाकारी पक्षकारों को सलाह देने तथा करार के कार्यकरण में सुधार लाने के तरीके के संबंध में सलाह देने के लिए उत्तरदायी होगी।

अनुच्छेद 11

इस करार का अनुसमर्थन प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसरण में किया जाएगा। यह करार अनुसमर्थन-दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा। यह पांच वर्षों की अवधि तक लागू रहेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक अगले पांच वर्षों के लिए यह तब तक स्वतः नवीकृत होता रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक पक्षकार इस करार को समाप्त करने की इच्छा से दूसरे पक्षकार को छः माह पूर्व सूचना नहीं दे देता है।

जिसके साक्ष्य में, संविदाकारी पक्षकारों के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अपनी-अपनी मुहरें लगा दी हैं।

नई दिल्ली में 1919 (शक) के चैत्र माह के सत्रहवें दिन तद्नुसार 1997 के अप्रैल माह के सातवें दिन हिंदी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं, प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में मतभेद होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

(एस॰ आर॰ बोम्मई)
मानव संसाधन विकास मंत्री

लेबनान गणराज्य की सरकार
की ओर से

(फरेस बोएज)
विदेश मंत्री

Cultural Agreement
between
the Government of the Republic of India
and
the Government of the Republic of Lebanon

****

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Lebanon, hereinafter referred to as the Contracting Parties;

Inspired by a common desire to establish and develop closer cultural relations; and

Desirous of promoting and developing in every possible manner the relations and understanding between India and Lebanon in the realms of art, culture, education including academic activity, and in the fields of science, radio, television and cinema,

Have agreed to conclude the following Agreement:-

Article 1

The Contracting Parties shall encourage the development and promotion of educational, scientific and cultural cooperation.

Article 2

The Contracting Parties shall encourage the exchange of materials as well as audio-visual materials, in the fields of education, science, culture and arts.

The Contracting Parties shall also encourage the translation and publication of books edited in their respective countries.

Article 3

The Contracting Parties shall facilitate the establishment, promotion and development of close relations between their competent organisations and institutions in the domain of education, science, culture and arts.

Article 4

The Contracting Parties shall encourage the promotion and development of their respective languages as well as for promotion of history, literature and arts of each other's country.

In this context, the two parties shall encourage the following:-

a) The promotion of Radio and TV programmes, language courses, literature, history and arts in their respective educational institutions,

b) Institutionalising cooperation between teaching establishments regulated by University accords.

c) Reciprocal visits of professors for conferences, seminars and other related activities.

Article 5

Each Contracting Party shall encourage granting of scholarships to students, scientists and professors of the other country for the purpose of study and research, as well as for perfecting their knowledge in the scientific and technical sectors, in culture and arts.

Article 6

The Contracting Parties shall examine the possibilities of reciprocal recognition of diplomas, certificates and other education related degrees. In this context, the two parties shall examine through the means of an accord, the conditions under which, equivalence, total or partial, of diplomas, titles and grades obtained in each country can be recognised in the other country, in accordance with the rules and regulations in each country.

Article 7

The Contracting Parties shall encourage the development of cultural exchanges, visits of specialists in the domain of literature, museums, archives and artists in the field of theatre, music, cinema and dance.

Article 8

The Contracting Parties shall encourage cooperation in the domain of conservation and restoration of their cultural properties, historical monuments, works of art and manuscripts conforming to the rules and regulations prevalent in their respective countries.

Article 9

Each Contracting Party shall encourage the dissemination of culture of the other Party and shall also encourage the exchange of suitable programmes and information.

Article 10

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement, a Joint Committee shall be established by the Contracting Parties, consisting of an equal number of representatives of the two Governments, which shall meet on the date agreed between the Parties, alternately in India and Lebanon. The Joint Committee shall be responsible for reviewing periodically the working of the present Agreement, advising the Contracting Parties in formulating and recommending any items of interest to either party in the fields envisaged in this agreement, and also advising the manner by which the working of the Agreement may be improved.

Article 11

The present Agreement shall be subject to ratification in accordance with the constitutional procedures of each Contracting Party. It shall come into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years each until either Contracting Party gives the other Contracting Party a six months' prior notice of its intention to terminate the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorised representatives of the contracting parties have signed this Agreement and affixed their seals thereto.

Done at New Delhi on the seventh day of April, One thousand Nine hundred and ninety seven, corresponding to the seventeenth day of Chaitra, 1919 (SAKA) in two originals each in English, Hindi and Arabic languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

(S. R. Bommai)
Minister for Human Resource Development

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON

(Fares Bouez)
Minister of Foreign Affairs